निर्णय बईजलास डॉ0 भारती दीक्षित आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 36 / प्रार्थना पत्र / 22

उनवान प्रार्थना पत्र
राजस्थान सरकार जर्ये सहायक निदेशक कृषि(वि)भवानीमण्डी
बनाम
मंडलोई कृषि सेवा केन्द्र पिड़ावा

प्रा0पत्र अपराध उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की धारा 19(C)(vi)(vii) 21(a)(aa)व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 / 7 के तहत जब्त नकली उर्वरक के निस्तारण बाबत।

—: निर्णय :— दिनांकः 19.07.2022

प्रा0पत्र उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि अधिकारी (वि0) भवानीमण्डी, झालावाड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रा0पत्र में अंकन किया है कि दिनांक 18.11.2021 को मैसर्स मंडलोई कृषि सेवा केन्द्र पिड़ावा के प्रोपराईटर गोकुल प्रसाद दांगी पुत्र बालाराम से सारथी गोल्ड कारोबार से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर उनके द्वारा वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की । संदिग्ध उर्वरक के 480 बेग (प्रत्येक 50 किग्रा) सारथी गोल्ड(पाउडर)को संदेहास्पद मानकर उर्वरक निर्माता कम्पनी मैसर्स वल्चर इन्टरनेशनल प्रा0लि0 प्लॉट न0 48 / 2 गांव सिरोलिया,जिला देवास(मध्य प्रदेश) के एक संदिग्ध उर्वरक नमूना को आहरित कर राजकीय उर्वरक गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला दुर्गापुरा,जयपुर को विश्लेषण हेतु भिजवाये जाने पर संदिग्ध उर्वरक के बेग पर पोषक तत्वों की प्रतिशतता अंकित नही होने के कारण विश्लेषण रिपोर्ट लंबित है। क्योंकि बेग पर सुक्ष्म तत्व जैसे कैल्सियम,मैग्नीशियम,सल्फर इत्यादि अंकित है जबकि उनकी प्रतिशतता का अंकन नहीं किया गया है। संदिग्ध उर्वरक के विक्रय के लिये अनुमति पत्र का न होना उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 एंव आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 / 7 का उल्लघन होने से उक्त जब्त माल के निस्तारण का निवेदन किया गया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित थानाधिकारी से जब्त उर्वरक की पुलिस अनुसंधान में आवश्यकता बाबत रिपोर्ट तलब की गई।

प्रस्तुत प्रकरण व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रकरण में थानाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जप्तशुदा उर्वरक की जांच रिपोर्ट कृषि(गु0नि0) राज्य उर्वरक गुण नियंत्रण परिक्षण प्रयोगशाला कृषि फार्म दुर्गापुरा जयपुर से प्राप्त नही होना व प्रकरण जेर अनुसंधान होने, जब्त उर्वरक बतौर साक्ष्य न्यायालय में पेश किये जाने से जब्त उर्वरक का निस्तारण उचित नही बताया गया है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। जब्त उर्वरक की पुलिस अनुसंधान में आवश्यकता नही होने पर पुलिस रिपोर्ट प्राप्त कर प्रार्थी पुनः न्यायालय हाजा में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 19.07.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
झालावाड़